

प्रेस नोट थाना कांट

जनपद शाहजहाँपुर

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 13.03.2025

थाना कांट पुलिस टीम द्वारा गोकशी के अभियोग में वांछित चल रहे 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में गोकशी जैसे गम्भीर अपराध की रोकथाम हेतु कार्यवाही करते हुए थाना कांट पुलिस टीम द्वारा गोकशी के अपराध में संलिप्त अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.03.2025 को थाना कांट पुलिस टीम को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि आपके थाने पर पंजीकृत मु0अ0स0 17/25 धारा 3/5ए/8 CS ACT व 11(क) पशू क्रूरता अधिनियम से संबंधित अभियुक्त **1.हनीफ उर्फ गुड्डू पुत्र अशरफ उम्र करीब 50 वर्ष निवासी मो0 तकिया कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर व 2. रहीस पुत्र अशरफ उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मो0 तकिया कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर**, शीतला माता मन्दिर की ओर पैदल जा रहे है। उक्त सूचना के आधार पर थाना कांट पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुँची तो अभियुक्तगण उपरोक्त को शीतला माता मन्दिर तिराहे पर रोका व टोका गया तो वह नही रुके तब पुलिस टीम द्वारा दोनो अभियुक्तों को घेरघोट कर समय करीब 10.30 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया तथा नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो एक के द्वारा अपना नाम **1.हनीफ उर्फ गुड्डू पुत्र अशरफ उम्र करीब 50 वर्ष निवासी मो0 तकिया कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर व दूसरे ने अपना नाम रहीस पुत्र अशरफ उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मो0 तकिया कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर** बताया । इस घटना के सम्बन्ध में थाना कांट पर मु0अ0स0 17/25 धारा 3/5ए/8 CS ACT व 11(क) पशू क्रूरता अधिनियम पंजीकृत है , जिसमें उपरोक्त दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभि0 -

- 1-हनीफ उर्फ गुड्डू पुत्र अशरफ उम्र करीब 50 वर्ष निवासी मो0 तकिया कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
- 2-रहीश पुत्र अशरफ उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मो0 तकिया कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास

(1)अभियुक्त हनीफ उर्फ गुड्डू पुत्र अशरफ उम्र करीब 50 वर्ष निवासी मो0 तकिया कस्बा व थाना कांट शाहजहाँपुर

- 1- मु0अ0स0 2103/2016 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम चालानी थाना कांट
- 2-मु0अ0स0 1840/2017 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम चालानी थाना कांट
- 3-मु0अ0स0 547/2018 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
- 4-मु0अ0स0 136/2019 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम चालानी थाना कांट
- 5-मु0अ0स0 279/2019 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
- 6-मु0अ0स0 237/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
- 7-मु0अ0स0 17/2025 धारा 3/5A/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम चालानी थाना कांट
- 8-मु0अ0स0 397/2024 धारा 115(2)/191(2)/191(3)333/351(3)352 बीएनएस चालानी थाना कांट

(2) अभियुक्त रहीश पुत्र अशरफ उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मो0 तकिया कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर

- 1- मु0अ0स0 397/2024 धारा 115(2)/191(2)/191(3)333/351(3)352 बीएनएस चालानी थाना कांट
- 2- मु0अ0स0 17/2025 धारा 3/5A/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम चालानी थाना कांट

अभियुक्तो को गिरफ्तार करने वाली थाना काँट पुलिस टीम -

1. उ0नि0 घनश्याम बहादुर तैनाती थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 2539 कुलदीप धामा तैनाती थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 2114 गौरव मलिक तैनाती थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2743 राहुल कुमार तैनाती थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर